

सं.004/वीजीएल/18
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली - 110023
दिनांक: 21/12/2005

कार्यालय आदेश सं0 74/12/05

विषय : सतर्कता पहलू की परिभाषा (आंशिक संशोधन के संबंध में)

सतर्कता पहलू की परिभाषा पर अपने दिनांक 13/4/04 के पत्र संख्या 004/वीजीएल/18 द्वारा जारी आयोग के कार्यालय आदेश सं0 23/4/04 में आंशिक संशोधन करते हुए सतर्कता पहलू के निर्धारण के प्रयोजन हेतु पैरा 2 के अंत में पैरा 2 (ख) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है ।

“किसी मामले के निपटान में कोई भी अनुचित/अन्यायपूर्ण देरी, जिसे सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् देखा गया हो, मामले में सतर्कता पहलू मौजूद होने के निष्कर्ष को मजबूत करेगी । ” वर्तमान पैरा 2 को पैरा 2(क) माना जाएगा ।

2. मुख्य सतर्कता अधिकारी इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं ।

-ह0-

(अंजना दूबे)
उप सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि

1. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
2. एवीडी-III, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।